



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1079/UP/5/2023-APCR

दिनांक: 13/04/2023

✓ 1. डॉ. राज के.आर. विश्वकर्मा
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
राणा प्रताप मार्ग, डालीबाग कॉलोनी,
बटलर कॉलोनी, लखनऊ,
लखनऊ -226001 (उत्तर प्रदेश)
Email:dgpccontrol-up@nic.in

2. श्री धवल जायसवाल
पुलिस अधीक्षक,
जिला - कुशीनगर
कुशी नगर -274403 (उत्तर प्रदेश)
Email:spksn-up@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के लल्लन गोंड हत्याकांड मामले में सम्मिलित अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर लगवाने तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराने के संदर्भ में श्रीमति सुनीता सिंह गोंड, कुशीनगर का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सुनीता सिंह गोंड से दिनांक 13/04/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।


(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं.: 24645826
ई-मेल: .ankit.sen@gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

सुनीता सिंह गोंड
गांव-कठघरी, पोस्ट-टेकुटर रामकोला,
जिला-कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
Mobile No:8382087508